महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कायालय, केरल, तिरुवनतपुरम
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AU II), KERALA

THIRUVANANTHAPURAM

का.स्था (बिल्स)/लेखापरीक्षा II / आई टी-टीडीएस/2025-26
OE(BILLS)/AU II/IT-TDS/2025-26 दिनांक/Date: 08.10.2025

परिपत्र/ CIRCULAR No. 29

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए वेतन से आयकर की कटौती –बाबत्

Sub : Deduction of Income Tax for the Financial Year 2025-26 (Assessment Year 2026-27) – reg

आयकर अधिनियम 1961 की धारा **115 बीए सी (1)**,*निर्धारितियों को नई कर व्यवस्था हो या पुरानी कर व्यवस्था, जो भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो, आय कर दरें चुनने का विकल्प*प्रदान करती है ।

Section **115BA C(1)** of the Income Tax Act, 1961 *provides an option for Assesses to opt for the rates of Income Tax applicable either New Tax Regime or Old Tax Regime whichever is beneficial to them*.

फिलहाल, पीएफएमएस में नई कर व्यवस्था को डिफाल्ट कर व्वयस्था के तौर पर नियत किया गया है । जो कर्मचारी सदस्य पुरानी कर व्यवस्था चुनना चाहते हैं पीएफएमएस वेबसाईट/आयकर मेनु के विकल्प का प्रयोग करें और दि. **31-10-2025** को या उससे पहले डीडीओ (पीएफएमएस की अग्रेषण पंजी में) को भेजें ।

As of now, in PFMS the new regime is set as default tax regime. Staff members who wish to opt old tax regime, should exercise the option in the PFMS website/Income Tax Menu and forward to the DDO (Forward Register in PFMS) on or before **31-10-2025**.

डीडीओ को अग्रेषित किया हुआ एक बार चयनित विकल्प अंतिम होगा ।
Option once exercised and forwarded to DDO shall be final.

चूंकि कर व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है, कर्मचारियों को लाभकारी कर व्यवस्था अभिनिश्चित करने के बाद ही "Forward Regime" पर क्लिक करना चाहिए ।
As there is no provision for alteration of Tax Regime, staff members should click "Forward Regime" only after ascertaining the beneficial Tax Regime to them.

[www.pfms.mic.in=>Employees login ID/Password => EIS > Go to EIS=> income Tax=>Emplovee Savings => Regime Comparison/Emplovee Savings =>saved process Forward to DDO (Forward Regime)]

तथापि, चुने गए विकल्प को आयकर विभाग के साथ वित्तीय वर्ष2025-26/निर्धारण वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न जमा करते समय बदल सकता है ।
However, the option exercised can alter at the time of filing IT Return for FY 2025-26/AY 2026-27 with Income Tax Department.

वित्त वर्ष 2024-25 से नयी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती ₹ 50000 से ₹ 75000 तक बढ़ा दी गयी है । आयकर अधिनियम 1961 के धारा 87 A के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को अधिकतम ₹ 60,000 तक की कर छूट मिलेगी, बशर्ते उनकी

कुल आय ₹1 2 लाख से आधक न हो । पुरानी कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को आधकतम₹ ₹12,500 तक की कर छूट मिलेगी, बशर्ते उनकी कुल आय ₹12 लाख से अधिक न हो ।

From the financial year 2024-25, the standard deduction for salaried employees has been enhanced from ₹ 50000 to ₹ 75000 for those opting New Tax Regime. Under Section 87 A of the Income Act 1961, an assessee who opts for the New Tax regime shall be entitled to a tax rebate upto a maximum of ₹ 60,000 where the total income does not exceed ₹12 lakh and in case of an assessee who opt for the Old tax Regime shall be entitled to a tax rebate upto a maximum of ₹ 12,500 where the total income does not exceed ₹12 Lakh**.**

वित्तीय 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए आयकर की दर निम्नानुसार है ।
The Rates of Income Tax for the FY 2025-26 (AY 2026-27) are furnished below.

पुरानी कर व्यवस्था **Old Tax Regime**		नयी कर व्यवस्था **New Tax Regime**	
कर योग्य आय **Taxable Income**	कर की दर **Rate of tax**	कर योग्य आय **Taxable Income**	कर की दर **Rate of tax**
0- ₹ 2.5 lakh	0	0- ₹ 4 lakh	0
₹ 2.5 lakh-₹ 5 lakh	5%	₹ 4 lakh-₹ 8 lakh	5%
₹ 5 lakh - ₹ 10 lakh	20%	₹ 8 lakh- ₹ 12 lakh	10%
Above ₹ 10 lakh	30%	₹ 12 alkh-₹ 16 lakh	15%
		₹ 16 lakh- ₹20 lakh	20%
		₹ 20 lakh- ₹24 lakh	25%
		Above ₹ 24 lakh	30%

अप्रैल 2021 से प्रभावी नए भविष्य निधि नियमों के अनुसार, भविष्य निधि में जमा सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है और ₹5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक के भविष्य निधि में योगदान पर ब्याज कर मुक्त होगा ।

According to the new Provident Fund Rules effective from April 2021, the deposit threshold limit has been raised to ₹ 5 Lakh per annum in Provident Fund and the interest on contribution to Provident Fund upto ₹ 5 Lakh per annum will be tax free.

नई कर व्यवस्था का चुनाव करने वाले सदस्यों को निम्नलिखित छूटों और कटौतियों को छोड़ना होगा:

The Officials opting for the **New Tax Regime** will have to forgo the following Exemptions and Deductions:

1. वेतन शीर्ष के अंतर्गत व्यावसायिक कर एवं मनोरंजन भत्ता/ The professional tax and entertainment allowance on salaries
2. छुट्टी यात्रा भत्ता / Leave Travel Allowance (LTA)
3. मकान किराया भत्ता / House Rent Allowance (HRA)
4. सन्तान शिक्षा भत्ता / Children education allowance
5. अन्य विशेष भत्ते (धारा 10(14))/ Other special allowances [Section10(14)]
6. स्वाधिकार संपत्ति या खाली सम्पत्त ि पर गृह निर्माण ऋण पर ब्याज (धारा24) / Interest on housing loan on the self-occupied property or vacant property (Section 24)
7. अध्याय VI A कटौतियां (80 सी, 80डी, 80ई और इसी तरह) (80 सीसीडी (2) एवं 80 जेजेएए को छोड़कर) / Chapter VI-A deduction (80C,80D, 8OE and so on) (Except Section 80CCD (2) and 80JJAA)
8. किसी भी अन्य अनुलाभ या भत्ते के लिए छूट या कटौती / Exemption or deduction for any

other perquisites or allowances

पुरानी कर प्रणाली में बने रहने के लिए इच्छुक पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपना प्रपत्र फ़ॉर्म12 बीबी (संलग्न) में भर के ओ ई बिल्स अनुभाग में दि.**31.10.2025** से पहले अवश्य प्रस्तुत करें। उसमें बताए गए व्यय / निवेश के विवरण के समर्थन में जहां भी आवश्यक हो प्रलेखी प्रमाण संलग्न किए जाने चाहिए ।

Officials willing to remain in the Old Tax Regime are requested to furnish a statement in form 12 BB (appended) so as to reach OE(Bills) before **31.10.2025** compulsorily. Details of expenditure/investments stated therein should invariably be supported by documentary evidence wherever applicable.

समुचित दस्तावेजों के बगैर कोई भी कटौती अनुमत नहीं की जाएगी ।

No deduction will be allowed without proper documents.

कुछ निवेश / व्यय की मद जिनके संबंध में आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कटौती का दावा किया जा सकता है, वे नीचे सूचीबद्ध है ।

Some of the items of investments/expenditure for which deduction can be claimed under various sections of IT Act are detailed in Annexure .

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, उपरोक्त दर पर कर के अलावा आय कर के**4% की दर** पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उप कर की उगाही भी की जाती है ।

Besides tax at above rate, Health and Education Cess@ **4%** is levied on income-tax for the financial year 2025-26.

स्रोत पर कटौती के चरण में आय कर पर कोई प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा । अत: सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आय कर योजनाबद्ध करने और व्यय/ निवेश विवरण टी डी एस के प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करने में अत्यंत सावधानी बरती जाए ।

No refund of Income Tax will be allowed at TDS stage. Hence all the officials are required to take utmost care in planning their Income Tax and furnishing the expenditure/investments statements for the purpose of TDS within the prescribed time limit.

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा. एवं एएमजी I) के दि. 08/10/2025 आदेशानुसार /
(Approved by Sr. DAG (Admn &AMG I) vide orders dated on 08/10/2025.)

Digitally signed by
Manju R S
Date: 08-10-2025
15:05:13

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / का.स्था (बिल्स)
Sr. Audit Officer/ OE (Bills).

ANNEXURE

80 सी **80 C**	**कुछ निवेशों / भुगतानों के संबंध में कटौती । इस धारा के अधीन अधिकतम ग्राह्य कटौती रु1.5 लाख है/ Deduction in respect of certain deposits/payments. The maximum admissible deduction under this section is `.1.5 lakh** कुछ निवेश क्षेत्र या व्यय जिनका धारा80 सी के तहत कर कटौतियों के रूप में दावा किया जा सकता है वे नीचे दिए अनुसार है: Some of the investment avenues or expenses that can be claimed as tax

	deductions under section 80c are as below: i. अपने, पति या पत्नी के या बच्चों के नाम पर लो.भ.नि.*(लोक भविष्य निधि)/* PPF *(Public Provident Fund) in the name of self, spouse or children* ii. सा.भ.नि. (*सामान्य भविष्य निधि*)/ GPF *(General Provident Fund)* iii. बैंक या डाक घर में पंच वर्षीय कर बचत जमा/ Five-year Bank or Post Office Tax Saving Deposits iv. रा.ब.प्र. *(राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र)* NSC *(National Savings Certificates)* v. म्यूचुअल फंडों के ई एल एस एस (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स) / ELSS (Equity Linked Saving Schemes) of Mutual Funds vi. ट्यूशन फी (अधिकतम दो बच्चों के लिए) /Tuition Fees (For maximum of two children) vii. गृह निर्माण ऋण के मूल राशि का पुर्नभुगतान/ Principal repayment of Home Loan viii. रा.पें.यो. (*राष्ट्रीय पेंशन योजना*) / NPS *(National Pension System)* ix. जीवन बीमा प्रीमियम (अपने, पति या पत्नी के या बच्चों के लिए) / Life Insurance Premium (for self, spouse or children) x. सुकन्या समृद्धि खाता जमा योजना / Sukanya Samriddhi Account Deposit Scheme
80 सीसीसी 80 CCC	एल आई सी (*भारतीय जीवन बीमा निगम*) या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी के वार्षिकी योजना में योगदान । इस धारा के अधीन अधिकतम ग्राह्य कटौती र₹.1.5 लाख है / Contribution to annuity plan of LIC *(Life Insurance Corporation of India)* or any other Life Insurance Company. The maximum allowable deduction under this section is ₹. 1.5 Lakh
80 सीसीडी (1) 80 CCD(1)	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना (एन पी एस) के लिए वेतन के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन कर्मचारियों का योगदान (वेतन में महंगाई भत्ता शामिल है लेकिन सभी अन्य भत्तों तथा अनुलाभों को छोड दिए हैं) / Employees contribution to the pension scheme notified by the Central Government (NPS), subject to a maximum of 10% of salary (Salary included Dearness Allowance but excluded all other allowances and perquisites)
80 सीसीडी (1ख) 80 CCD (1B)	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना (एन पी एस) में किए गए जमे पर, धारा 80 सीसीडी (1)के तहत कोई कटौती अनुमत नहीं की गयी हो तो कटौती दी जाएगी और वह ₹ 50,000/- से अधिक नहीं होगी । Shall be allowed a deduction, whether or not any deduction has been allowed under section 80CCD (1), of the deposit made in a pension scheme notified by the Central Government (NPS) which shall not exceed ₹ 50,000
80 सीसीडी (2) 80CCD (2)	पेंशन योजना (एन पी एस)में कर्मचारियों के नाम पर नियोक्ता का योगदान वेतन के अधिकतम 14% के अधीन, कटौती के रूप में अनुमत है । (वेतन में महंगाई भत्ता शामिल है लेकिन सभी अन्य भत्तों तथा अनुलाभों को छोड दिए हैं) टिप्पणी: एनपीएस में कर्मचारियों के नाम पर नियोक्ता का योगदान को कर्मचारी के सकल वेतन में समाविष्ट किया जाना चाहिए (धारा 17) Employers' contribution to the Pension (NPS) account of the employee shall be allowed as a deduction, subject to a maximum of 14% of salary (Salary includes Dearness Allowance but excludes all other Allowances and Perquisites). Note: - Employers contribution to the NPS account of the employee should be included under Gross salary of the employee (Section 17)
80 सीसीई	जो भी मामला हो, धारा 80 सी, 80 सीसीसी तथा 80 सीसीडी के उपधारा (1) के तहत कटौतियों की कुल राशि ₹1.50, 000 /-से अधिक नहीं होगी ।

80 CCE	The aggregate amount of deductions undersection 80C, section 80CCC and sub-section (1) of section 80CCD shall not, in any case, exceed ₹1,50,000
8 0 डी 80 D	आयकर अधिनियम की धारा 80 डी, निर्धारिती के या उनके परिवार/माता पिता के स्वास्थ्य पर बीमा को प्रभावी या लागू करने के लिए नकदी के अलावा कोई भी तरीका द्वारा खर्च की राशियों तथा केंद्र सरकारी स्वास्थ्य योजना में, या चिकित्सा व्यय पर किए कोई योगदान पर, उसमें विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सीमाओं / शर्तों के अधीन कटौतियां अनुमत करती है । Section 80D of the Income Tax Act permits deductions on amounts spent by any mode other than cash to effect or to keep in force an insurance on the health of the assessee or his family/parents, or any contribution made to the Central Government Health Scheme, or medical expenditure, subjects to limits/conditions specified therein.
80डीडी 80DD	**शारीरिक रूप से अपंग आश्रित के चिकित्सा उपचार सहित रख-रखाव के संबंध में कटौती** 7. *चिकित्सा उपचार के लिए कोई भी व्यय (नर्सिंग सहित),शारीरिक रूप से अपंग होने के नाते आश्रित का प्रशिक्षण तथा पुनर्वास;अथवा* 8. जीवन बीमा निगम या कोई अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी में इस कारणवश बनायी गयी योजना में अदा की गयी या निवेश की गयी कोई भी राशि, *शारीरिक रूप से अपंग होने के नाते आश्रित के रख-रखाव के लिए धारा में विर्निदिष्ट शर्तों के अधीन* **साधारण असमर्थता (40%) के लिए ₹.75,000/-तथा संकीर्ण असमर्थता (80% और अधिक) के लिए 1.25 लाख** की कर कटौती हेतु प्रावधान प्रदान करती है । **Deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability.** *(a) any expenditure for the medical treatment (including nursing), training and rehabilitation of a dependent, being a person with disability; or* *(b) paid or deposited any amount under a scheme framed in this behalf by the Life Insurance Corporation or any other insurer or the Administrator or the specified company subject to the conditions specified in the section for the maintenance of a dependent, being a person with disability,* Provides provisions for tax deductions of ₹**75,000 for normal disability (40%) and ₹1.25 lakh for severe disability (80% and more)**
80 डी डी ख 80DDB	अपने या आश्रित के विर्निदिष्ट बीमारी या व्याधि के चिकित्सा उपचार के लिए उपगत व्यय के संबंध में कटौती । अनुमत कटौती ₹ 40,000/-तक सीमित है, अगर चिकित्सा वरिष्ठ नागरिक और बहुत ही वरिष्ठ नागरिक के लिए हो तो ₹1,00,000 तक है । Deduction in respect of the expense incurredfor medical treatment of specified disease or ailment for self or a dependent. The permitted deduction is limited to ₹ 40,000 and ₹1,00,000 if the treatment is for a senior citizen, as well as super senior citizen
80 ई 80 E	किसी वित्तीय संस्था या कोई अनुमोदित धर्मार्थ संस्था से, अपनी, अपने पती/ पत्नी की या बच्चों की उच्च शिक्षा जारी रखने के प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती । कटौती 8 वर्षों के लिए ग्राह्य है । Deduction in respect of interest on loan taken from any financial institution or any approved charitable institution for the purpose of pursuing higher education of self, spouse and children, deduction is admissible for 8 years.
80 EE	कटौती ₹ 50,000 रुपये तक है । यह आयकर अधिनियम की धारा24 के तहत 2 लाख रुपये की सीमा के अतिरिक्त है ।

	1. घर का मूल्य ₹ 50 लाख रुपये या उससे कम होना चाहिए। 2. घर के लिए लिया गया ऋण ₹ 35 लाख रुपये या उससे कम होना चाहिए । 3. ऋण किसी वित्तीय संस्थान या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । 4. ऋण 01/04/2016 से 31/3/2017 के बीच स्वीकृत होना चाहिए । 5. ऋण स्वीकृत होने की तिथि के अनुसार, कर्मचारी के पास कोई अन्य गृह संपत्ति नहीं होनी चाहिए । The deduction is upto to ₹50,000. It is over and above the ₹ 2 lakh limit under Section 24 of the Income Tax Act. 1. Value of the house should be ₹ 50 lakh or less 2. Loan taken for the house must be ₹ 35 lakh or less 3. The loan must be sanctioned by a financial institution or a housing finance company. 4. The loan must be sanctioned between 01/04/2016 to 31/3/2017. 5. As of the date of sanction of the loan, no other house property must be owned by the employee.
80 EEA	प्रथम आवासीय गृह संपत्ति के लिए गृह ऋण पर अतिरिक्त ब्याज ₹ 1,50,000/- 1. ऋण 01/04/2019 से 31/3/2022 के बीच स्वीकृत । 2. स्टाम्प शुल्क संपत्ति का मूल्य ₹ 45 लाख से अधिक नहीं 3. ब्याज में कटौती केवल एक बार दी जाती है और24(बी) और 80 ईईए या किसी अन्य धारा में इसका दावा नहीं किया जा सकता है । Additional Interest on Home Loan for 1st Residential House Property ₹ 1,50,000/- 1. Loan sanctioned between 01/04/2019 to 31/3/2022. 2. Stamp duty Value of property not exceeding ₹ 45 lakhs 3. Deduction of interest is only allowed once and cannot be claimed in both 24(b) and 80 EEA or any other section.
80 EEB	इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज ₹1,50,000 1. ऋण किसी वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी सहित) द्वारा 01/04/2019 से 31/3/2023 के बीच स्वीकृत किया गया है । 2. ऋण स्वीकृत होने की तिथि के अनुसार करदाता के पास कोई अन्य इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है । 3. आयकर अधिनियम की किसी अन्य धारा के अंतर्गत इस ब्याज पर कोई कटौती नहीं की जाएगी । Interest on Loan for Purchase of Electric Vehicle ₹ 1,50,000 1. Loan is sanctioned by a Financial Institution (including NBFC) between 01/04/2019 to 31/3/2023. 2. The assessee does not own any other Electric Vehicle on the date of sanction of loan. 3. No deduction is allowed for this interest in any other Section of IT Act.
8 0 जी **80 G**	**धारा में विनिर्दिष्ट सीमाओं / शर्तों के अधीन कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि में चंदा देने** के संबंध में कटौती (प्रतिबंध के साथ और बगैर 100% या 50% तक कटौती के लिए योग्य) 1. **कोई सीमा के बिना 100% की कटौती:** राष्ट्रीय रक्षा निधि, प्रधान मंत्री राहत निधि, राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष आदि में योगदान की राशि, 100% की कटौती के लिए योग्य है । 2. **अर्हक सीमा के साथ 100% की कटौती**: स्थानीय प्राधिकरणों, संघों और संस्थाओं को परिवार

	नियोजन को बढावा देने तथा खेलकूद आदि के विकास के लिए दिए गए योगदान, कुछ अहेक सीमाओं के अधीन 100% की कटौती के लिए योग्य है । 3. **अर्हक सीमा के बिना 50% की कटौती**: प्रधान मंत्री सूखा राहत कोष, राजीव गांधी फाउण्डेशन आदि जैसों में निधियों का योगदान 50% की कटौती के लिए योग्य है । 4. **अर्हक सीमा के साथ 50% की कटौती:** धर्म स्थापनाओं, परिवार नियोजन के प्रयोजन को छोडकर स्थानीय प्राधिकरणों को और अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए योगदान, कुछ अर्हक सीमाओं के अधीन 50% की कटौती योग्य है । 5. अर्हक सीमा, करदाता के सकल कुल आय के 10% के संदर्भ में है । **Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc.** (Eligible for deduction up to either 100% or 50% with or without restriction) **subject to limits/conditions specified in the section.** 1. **100% deductions without any limit**: Donations to funds like National Defence Fund, Prime Minister's Relief Fund, National Illness Assistance Fund, etc. qualify for 100% deduction on the amount donated. 2. **100% deduction with qualifying limits**: Donations to local authorities, associations, or institutes to promote family planning and development of sports qualify for 100% deduction, subject to certain qualifying limits. 3. **50% deduction without qualifying limits**: Donations to funds like the PMs Drought Relief fund, Rajiv Gandhi Foundation, etc. are eligible for 50% deduction. 4. **50% deduction with qualifying limit** Donations to religious organisations, local authorities for purposes apart from family planning and other charitable institutes are eligible for 50% deduction, subject to certain qualifying limits. 5. The qualifying limit refers to 10% of the gross total income of a taxpayer.
80 टीटीए 80 TTA	बचत खातों में जमा राशि के ब्याज के संबंध में ₹.10,000/-तक की कटौती । Deductions upto ₹.10,000 in respect of interest on Deposits in Savings Accounts.
80 यू 80 U	**शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति के मामले में कटौती** **Deduction in the case of a person with disability.** **एक व्यक्ति,** जो पिछले वर्ष किसी भी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग के रूप में प्रमाणित किया जाता हो तो उनको धारा में निर्धारित शर्तों के अधीन ₹ 75,000/-(संकीर्ण विकलांग व्यक्ति को ₹1.25 लाख) की कटौती अनुमत की जाएगी । **A person**, who, at any time during the previous year, is certified by the medical authority to be a person with disability, there shall be allowed a deduction of a sum of ₹75,000 (for whom with severe disability the deduction is ₹.1.25 lakh) subject to conditions prescribed in the section.